



# छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम्

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिये अनुदानों की मांगों पर

## कटौती प्रस्ताव

### भाग - तीन

मांग संख्या – 19, 79, 50,

मांग संख्या – 6, 21, 31, 7,

मांग संख्या – 10, 17, 23, 45, 47, 57, 75,

मांग संख्या – 34 एवं 55 से संबंधित

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र. मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
1. श्री श्याम बिहारी जायसवाल	19 79 50	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे
2. श्री ओ. पी. चौधरी	6 21 31 7	वित्त विभाग से संबंधित व्यय आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय वाणिजिक कर (राज्य कर एवं स्टाम्प पंजीयन)	2 घंटे
3. श्री केदार कश्यप	10 17 23 45 47 57 75	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित व्यय सहकारिता जल संसाधन विभाग लघु सिंचाई निर्माण कार्य कौशल विकास जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2 घंटे
4. श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे	34 55	समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास	1 घंटा

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी—मार्च, 2024 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आय—व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये हैं।

दिनेश शर्मा  
सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव  
भाग – तीन में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों  
के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
  2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
  3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
  4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
  5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
  6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
  7. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
  8. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
  9. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य
  10. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य
  11. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
  12. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य
  13. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
  14. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
  15. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
  16. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य
  17. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य
  18. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
  19. श्री संदीप साहू, सदस्य
  20. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य
  21. श्री इंद्र साव, सदस्य
-

## मांग संख्या— 10 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मतदेय राशि

रुपये 28,32,30,64,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 10

1. डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे。
    - (1) वन समितियों के सशक्तिकरण हेतु वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।
    - (2) वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।
    - (3) तेन्दुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
    - (4) प्रदेश में वन उत्पादों के प्रसंस्करण यूनिट निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
    - (5) लघु वनोपज संघ को अनुदान हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
    - (6) वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
    - (7) वनों की अवैध कटाई के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
  2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
प्रदेश में हो रही वनों की अवैध कटाई रोकने हेतु कोई कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
  3. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
    - (1) प्रदेश के वनों की हो रही अवैध कटाई की रोकथाम किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
    - (2) प्रदेश के वनों में आगजनी की रोकथाम हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
    - (3) प्रदेश में हाथियों से नुकसान होने पर 10 लाख रूपये की राशि का मुआवजा दिये जाने कोई प्रावधान नहीं है।
    - (4) बारनवापारा अभ्यारण्य के विकास कोई प्रावधान नहीं है।
    - (5) जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने कोई उल्लेख नहीं है।
    - (6) वनों के समुचित संवर्धन एवं संरक्षण हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
  4. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
तेन्दुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने कोई उल्लेख नहीं है।
  5. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
तेन्दुपत्ता प्रोत्साहन राशि दिये जाने कोई उल्लेख नहीं है।

**6. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) वन्य प्राणियों के अवैध शिकार की रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) वनों की अवैध कटाई को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

**7. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश में वन्य वन उत्पादों के प्रसंस्करण यूनिट निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि दिये जाने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) लघु वनोपज संघ को अनुदान हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) वन समितियों के सशक्तिकरण हेतु वित्तीय सहायता का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) वनों की अवैध कटाई के नियंत्रण हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

**8. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) वन्य प्राणियों के अवैध शिकार की रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) वनों की अवैध कटाई को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

**9. श्री संदीप साहू सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

हसदेव वन क्षेत्र में अवैध तरीके से बड़े वृक्षों की अवैध तरीके से कटाई को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

**10. श्री बालेश्वर साहू सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के वन क्षेत्रों में अवैध कटाई को रोकने हेतु नीति-निर्धारण का कोई उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या— 17

### सहकारिता

मतदेय राशि

रूपये 2,54,76,57,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 15

1. डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे।

- (1) प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समितियों के आर्थिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश की पंजीकृत सहकारी समितियों के आर्थिक उन्नति का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल : एक रूपये की कमी की जावे।

किसानों को नगद एक मुश्त राशि भुगतान हेतु हर पंचायत भवन में बैंकों के नगदी आहरण काउंटर स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती अनिला भैंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।

विधान सभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा ग्राम पटेली विकासखण्ड डौण्डी में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।

- (1) कुमर्दा में जिला सहकारी बैंक का निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) दानीटोला में नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।

- (1) प्रदेश में संचालित यात्रा प्रसंस्करण यूनिटों के रख—रखाव हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) हर पंचायतों में बैंकों के नकदी आहरण काउंटर खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।

हर पंचायतों में बैंकों के नगदी आहरण काउंटर खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

**7. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विधान सभा मोहला मानपुर के ग्राम गोटटोला में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) विधान सभा मोहला मानपुर के ग्राम खडगांव में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के आभाव का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) विधान सभा मोहला मानपुर के ग्राम कौड़ीकसा में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अभाव का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान सभा मोहला मानपुर के ग्राम विचारपुर में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अभाव का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) फड मुंशियों को 25000 वार्षिक मानदेय भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) हर ब्लाक में दूध संग्रहण केन्द्र तथा जिले में चिलिंग केन्द्र स्थापित कर संग्रहण हेतु खरीद मूल्य प्रदाय का कोई उल्लेख नहीं है।

**8. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) नवीन धान खरीदी केन्द्रों को प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में संचालित गन्ना प्रसंस्करण यूनिटों के रख-रखाव हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) हर पंचायतों में बैंकों के नगदी आहरण काउंटर खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड गुण्डरदेही एवं विकासखण्ड डॉडीलोहारा के विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रों में अहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड गुण्डरदेही के सेवा सहकारी समिति विनकापारा पं.क्र.-223 अंतर्गत ग्राम—सरेखा में नवीन धान उपार्जन केन्द्र प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुड्रकसरा, गुरेदा, सुखरी, बिरेतरा, सियनमरा, पाडवारा, कंहची में उचित मूल्य की दुकान निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के ग्राम —माहुद (उप) विकासखण्ड गुण्डरदेही में शासकीय उचित मूल्य की दुकान निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

**9. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समितियों के आर्थिक विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

**10. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

अकलतारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

**11. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) हर पंचायतों में बैंकों के नकदी आहरण काउंटर खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) नवीन धान खरीदी केन्द्रों के प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

**12. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) हर पंचायतों में बैंकों के नकदी आहरण काउंटर खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) नवीन धान खरीदी केन्द्रों के प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में संचालित गन्ना प्रसंस्करण यूनिटों के रख—रखाव हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 23  
जल संसाधन विभाग

मतदेय राशि

रूपये 14,13,26,58,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31**

1. डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के औद्योगिक इकाईयों के लंबित जल कर वसूली का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भू—जल एवं जल संरक्षण हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) वृहद सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश की बहुउद्देशीय बोधघाट परियोजना के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) खारून नदी रिवर फंट के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में जल संसाधन नीति बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डौण्डीलोहारा विधान सभा में सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत पेटपुल्ली नालों पर तटरक्षण कार्य ग्राम छिदगांव के पुजारीपारा में करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ईच्छापुर पेटपुल्ली नदी पर स्टापडेम निर्माण कार्य करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत ग्राम मैलबेड़ा केराजोड़ी नाला पर मैलबेड़ा स्टापडेम निर्माण कार्य करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत हाताखेड़ी एनीकट निर्माण मारकन्दी नदी पर ग्राम जैलेल खड़ाखटा के समीप एनीकट निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत नारंगी नदी पर तटरक्षण कार्य शिव मंदिर के पास बोदरा तटरक्षण कार्य करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत इन्द्रावती नदी के दायीं तट पर ग्राम बेलगांव के समीप तटरक्षण कार्य करने का कोई उल्लेख नहीं है।

- (7) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत स्थापित एनीकेट के गेट के रख-रखाव हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश की नदियों के कटाव को रोकने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) जल संसाधन नीति बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

**5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) करेठी एनीकट प्रोटेक्शन कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) धोटिया जलाशय नहर लाईनिंग कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) कापा जलाशय बांध एवं नहर के मरम्मत कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) गिदरौ जलाशय नहर लाईनिंग कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) मन्होरा जलाशय नहर लाईनिंग कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) लामसेरा जलाशय में नहर लाईनिंग कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

**6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) मस्तूरी विधान सभा के मुख्य नहरों एवं माईनर नहरों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र के खारंग मुख्य नहर से डंगनिया गांव के लिये माईनर नहर के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) मस्तूरी विधान सभा के ग्राम पंचायत ईटवा में माईनर नहर निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) मस्तूरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम चिल्हाटी लोहर्सी मोड से सोनसरी तक नहर सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) मस्तूरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम टांवार (विद्याडीह) बेल्हा से ध्रुवाकारी तक नहर सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

**7. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) चौक बेड़ा (खेडी गांव) विकासखण्ड पिधौरा मचका तालाब व छोटे नालों पर स्टॉप डेम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) अमृत मिशन जलवर्धन के अंतर्गत फिल्टर के माध्यम से सिकासेर जलाशय से जल बागबहरा लाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) कोमा विकासखण्ड बागबाहरा के अपूर्ण बांध को पूर्ण कराने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) बरतुंगा से गढ़बेड़ा नदिया में एनीकट निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

**8. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु नदियों के जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

**9. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु नदियों को जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

**10. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु नदियों को जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

**11. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु नदियों को जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

**12. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम बोईरडीह पर स्टॉप डेम का निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम पदगोंदी में रपटा कम स्टॉप डेम का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम सम्बलपुर में स्टॉप डेम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम करझापार में स्टॉप डेम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम पुसेवाडा में स्टॉप डेम का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम परवीडीह में एनीकट निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम जामड़ी में एनीकट निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम चापांटोला में एनीकट निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम दनगढ़ में एनीकट निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम काडे में एनीकट निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (11) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम नस्सुटोला में एनीकट निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

**13. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) वृहद सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भू—जल एवं जल संरक्षण हेतु कार्य योजना का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) खारून नदी रिवर फंट के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।

**14. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) बलौदा क्षेत्र में सिंचाई के लिये नहरों के विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) मयूर सागर परियोजना के तहत नवापारा जूनाडीह, महुदा के सिंचाई का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) बांधों के गहरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

**15. श्री व्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जंजगीर-चाम्पा जिला अन्तर्गत मिनी माता हसदेव परियोजना से निर्मित नहरों के मरम्मत एवं लाइनिंग का कोई उल्लेख नहीं है।

**16. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु नदियों को जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

**17. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) आरंग सेंध बांध में गंगरेल की मुख्य नदी से जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु नदियों के जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

**18. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

कसडोल विधान सभा के बलार डेम उन्नयन को लेकर बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

**19. श्री इंद्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोलिहा जलाशय उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 45

लघु सिंचाई निर्माण कार्य

मतदेय राशि

रूपये 6,98,19,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक —31

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है ।

मांग संख्या— 57

जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें

मतदेय राशि

रुपये 57,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है ।

मांग संख्या— 75

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं  
मतदेय राशि रूपये 3,53,01,20 ,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक —31

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है ।

## मांग संख्या— 34

### समाज कल्याण विभाग

मतदेय राशि

रूपये 1,21,76,27,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 26

1. डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) दिव्यांग विकास आयोग के गठन का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) अटल पेंशन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोत्तरी का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के संचालन का कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) महिला स्व सहायता समूहों के ऋण माफी का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) बी. पी. एल. वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख के आश्वासन का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

समाज कल्याण विभाग के लिये पर्याप्त बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में इंदिरा पेंशन योजना में राशि प्रदाय किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के दिव्यागजनों को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दिव्यांगों को उपकरण (नवीनतम) उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) अटल पेंशन योजना का बजट का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) दिव्यांग विकास आयोग के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दिव्यांगों को उपकरण (नवीनतम) उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या— 55**  
**महिला एवं बाल विकास**

मतदेय राशि

रूपये 28,87,51,87,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 39**

1. डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) रानी दुर्गावती योजना का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रधानमंत्री मातृ बहना योजना का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) महिलाओं के कुपोषण से मुक्ती हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के संबंध में समुचित बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम आड़ावाल, विकासखण्ड व जिला बस्तर में नवीन आंगनबाड़ी खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) विधान सभा क्षेत्र बस्तर में संचालित आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) ग्राम बनकोमार (लुडरापारा) विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर में नवीन मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम संघकरमरी, विकासखण्ड व जिला बस्तर में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) नगर पंचायत बस्तर, विकासखण्ड जिला बस्तर में नवीन आंगनबाड़ी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रदेश में गरीब महिलाओं एवं बहनों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) महिला स्व-सहायता समूह के कर्ज माफी का विभागीय बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

500 रूपये में गैस सिलेण्डर गरीब महिलाओं को देने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

500 रूपये में गैस सिलेण्डर देने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों की भर्ती किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) महिला स्व सहायता समूहों के आर्थिक उन्नयन का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) “रानी दुर्गावती योजना” का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों की भर्ती किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों की भर्ती किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) महिला स्व सहायता समूह के आर्थिक उन्नयन का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) “रानी दुर्गावती योजना” का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

9. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (2) आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) महिला स्व सहायता समूहों के आर्थिक उन्नयन का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने व कार्यकर्ता भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) “रानी दुर्गावती योजना” का कोई उल्लेख नहीं है।

**10. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) गरीब महिलाओं को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) मातृत्व सुरक्षा योजना शुरू कर प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 21000 की लागत से पोषण एवं आर्थिक सहायता का कोई उल्लेख नहीं है।

**11. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों की भर्ती किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) महिला स्व सहायता समूहों के आर्थिक उन्नयन का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रूपये सिलेण्डर प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) “रानी दुर्गावती योजना” का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) कुपोषण दर को कम करने/खत्म करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) गुण्डादेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड गुण्डरदेही एवं विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) गुण्डादेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड गुण्डरदेही एवं विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के विभिन्न आंगनबाड़ियों में आहाता का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) गुण्डादेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड गुण्डरदेही एवं विकासखण्ड डौण्डीलोहारा में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

**12. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) महिलाओं को कृपोषण से मुक्ति हेतु कारगर योजना का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के संबंध में समुचित बजट का प्रावधान नहीं है।

**13. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

कुपोषण दर को कम करने/खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है।

**14. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (3) महिला स्व सहायता समूहों के आर्थिक उन्नयन का कोई प्रावधान नहीं है।

- (4) प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) “रानी दुर्गावती योजना” का कोई उल्लेख नहीं है।

**15. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) “रानी दुर्गावती योजना” का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (5) महिला स्व सहायता समूहों के आर्थिक उन्नयन का कोई प्रावधान नहीं है।

**16. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

कसडोल विधान सभा क्षेत्र के गांवों में आंगनबाड़ी का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 19  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मतदेय राशि

रूपये 44,13,16,05,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक —17

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य केन्द्र भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (2) राज्य के नवीन जनऔषधि केन्द्र के निर्माण हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) राज्य के हर ब्लॉक में डायलिसिस केन्द्र की स्थापना का बजट में उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधोसंचरना विकास का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) प्रदेश के उपस्वास्थ्य केन्द्रों के अधोसंचरना विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (6) प्रदेश के संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है।
- (7) अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (8) प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की भर्ती किए जाने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) डॉक्टरों के लिए विशेष सुरक्षा कानून का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) गम्भीर बिमारी जैसे केन्सर, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट आदि बड़ी बिमारी के इलाज हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत बी.पी.एल.परिवारों का स्वास्थ्य बीमा 05 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती अनिला भेड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डौंडीलोहारा विधान सभा की स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम-जैतागिरी वि.ख.बकावण्ड जिला-बस्तर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई का उल्लेख नहीं है।

- (2) विधान सभा क्षेत्र बस्तर में पूर्व से स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस खरीदी करने हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) ग्राम बकावण्ड, वि.ख.—बकावण्ड, जिला—बस्तर में नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान सभा क्षेत्र बस्तर में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों/नर्स/स्टॉफ पद पूर्ति करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के अन्य ग्रामों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कोई कार्ययोजना/राशि का उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम—मटनार, वि.ख.बकावण्ड, जिला—बस्तर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के कार्यक्षेत्र या संसाधनों को बढ़ाने के संबंध में बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) प्रदेश में 108 वाहनों की संख्या बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) प्रदेश में सिक्लसेल के मरीजों को निःशुल्क ईलाज किये जाने संबंधी किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

#### **5. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) मस्तूरी विधानसभा अंतर्गत रासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं मरम्मत का उल्लेख नहीं है।
- (2) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों एवं स्टॉफ की पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम पंचायत धनगंवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (4) मस्तूरी विधान सभा का अंतर्गत ग्राम पंचायत पचपेड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (5) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में 100 बिस्तर का अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं है।

#### **6. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) भवनविहीन अस्पतालों में भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

**7. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण की कोई योजना नहीं है।
- (2) भवनविहीन अस्पतालों के भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

**8. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) भवनविहीन अस्पतालों में भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

**9. श्रीमती अम्बिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) भवनविहीन अस्पतालों में भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण की कोई योजना नहीं है।

**10. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम पारडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम भनसुला में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का प्रावधान नहीं है।
- (3) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम परसाटोला में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान सभा मोहला मानपुर के ग्राम निचेकोहड़ा में उपस्वास्थ्य केन्द्र का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) हर ब्लॉक में डायलिसिस केन्द्र स्थापना से संबंधित कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (6) 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा (सिर्फ 05 लाख की घोषणा वह गरीबों को) संबंधित कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम गोपलीनचुआ में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम विचारपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम मोहभट्ठा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) विधान सभा मोहला —मानपुर के ग्राम भुकादाह में उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (11) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम कुम्हारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

- (12) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम सीतागांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।
- (13) विधान सभा मोहला—मानपुर के रेगाकठेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (14) विधान सभा मोहला—मानपुर के कुम्हली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (15) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम डुमरटोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।
- (16) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम परसाटोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्थापना को उल्लेख नहीं है।
- (17) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम सिवनी में उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (18) विधान सभा मोहला—मानपुर के ग्राम मदनवाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र का स्थापना का उल्लेख नहीं है।

#### **11. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भवनविहीन अस्पतालों में भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम—जेवरातला (रोड) वि.ख.—डौड़ीलोहारा में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम—बरबसपुर, वि.ख. गुण्डरदेही में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम—राहुद वि.ख.—गुण्डरदेही में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

#### **12. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य केन्द्र भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त बजट में प्रावधान नहीं है।
- (2) राज्य के हर ब्लॉक में डायलिसिस केन्द्र की स्थापना का बजट में उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधोसंरचना विकास मद का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश के उपस्वास्थ्य केन्द्रों के अधोसंरचना विकास हेतु प्रावधान नहीं है।
- (5) प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की भर्ती किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भवनविहीन अस्पतालों में भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण की कोई योजना नहीं है।

14. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण की कोई योजना का प्रावधान नहीं है।
- (2) भवनविहीन अस्पतालों के भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

15. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कसडोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बल्दाकछार में उप स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।
- (2) कसडोल विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत कसडोल में सामुदायिक केन्द्र उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

16. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्र निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या— 79

### चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 17,88,86,12,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक —16

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे।  
नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।  
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
3. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।  
मेडिकल कॉलेजों को मल्टी सुपरस्पेसिलिटी अस्पताल में परिवर्तन करने का उल्लेख नहीं है।
4. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे。
  - (1) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।
  - (2) नवीन नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रावधान नहीं है।
5. श्री राघवेन्न कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।  
नए मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. श्री व्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।  
जिला –जांजगीर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
7. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।  
कसड़ोल विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत कसड़ोल में नर्सिंग कॉलेज निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रुपये 4,49,35,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक —23

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

**मांग संख्या— 6**

**वित्त विभाग से संबंधित व्यय**

**मतदेय राशि**

**रूपये 79,56,87,39,000**

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 4**

1. श्री चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे।  
बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रण की कोई योजना नहीं है।
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।  
चिटफंड पीड़ितों को राशि वापसी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
3. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।  
बढ़ती हुई मंहगाई के नियंत्रण की कोई योजना नहीं है।

## मांग संख्या— 21

### आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 11,74,03,90,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 32

1. श्री चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे。
  - (1) रायपुर एयरपोर्ट के सपीप एरोसिटी की स्थापना हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
  - (2) अवैध प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण की रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
  - (3) उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे。
  - (1) अवैध प्लाटिंग रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
  - (2) प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे。
  - (1) प्रदूषण को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है।
  - (2) फ्लाईएश से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।
4. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे。
  - (1) प्रदूषण को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है।
  - (2) फ्लाईएश से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।
5. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
रायपुर एयरपोर्ट के समीप एरोसिटी की स्थापना हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
6. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
प्रदूषण को रोकने (फ्लाईएश) का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 31

योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 64,18,04,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 23

**कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।**